न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/40/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/193

अपीलार्थी

श्री मदनलाल सैनी पुत्र पिंगलराम सैनी,
नि0 मैहताबसिंह का नोहरा, के.के. टैण्ट हाउस वाली गली,
अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.4.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.02.2022 जो कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार दिनांकः 12.03.2022 को पंजीकृत–पत्र के जरिये प्रत्यर्थी को प्रेषित किया गया है, के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आ.ख.नं. 392 से 398, 400 से 405 ग्राम–अलवर नं.1 तहसील व जिला–अलवर में न्यास द्वारा विकसित की जा रही विजय नगर योजना में काश्तकार को अवाप्ति के बदले विकसित भूमि (15प्रतिशत) की वर्तमान स्थिति बताने बाबत सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. भू.अवा./2021/1734/22 दिनांकः 22.04.22 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा अपीलान्तर्गत उठाये गये तथ्यो, सूचना आवेदन एवं प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अपील व सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही/सूचना अभिलेख का परीक्षण किया।
8. न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी, सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है किन्तु जवाब उनके नियंत्रणाधीन अनुभाग/शाखा प्रभारी अधिकारी आवंटन, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांकः प.22(16)प्रसु/सू.अ.प्र./2010 जयपुर दिनांकः 09.08.2010 के आलोक में उचित नहीं है। उक्त परिपत्र में उल्लेखित है कि "शासन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप सूचना का अधिकार से संबंधित सूचनाओं में पत्र व्यवहार नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार से संबंधित पत्र व्यवहार पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के ही हस्ताक्षर सुनिश्चित किया जावे।"
9. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राप्त जवाब नोटिस की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित नहीं की गई है जबकि अपील के संबंध में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर जवाब की प्रति न्यायालय के साथ–साथ अपीलार्थी को भी प्रेषित किए जाने बाबत निर्देशित किया गया है।
10. अतएव अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अभी तक प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें प्रेषित नहीं की गई है। अस्तु, **अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.02.2022 (पंजीकृत–पत्र के जरिये प्रेषित दिनांकः 12.03.2022) में वांछित सूचना, उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित, स्पष्ट, सटीक व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त पत्र व्यवहार पर विधिक प्रावधानों के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के ही हस्ताक्षर सुनिश्चित किये जावें।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)